

वश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की अपील

प्रलिमिंस के लयि:

डब्ल्यूटीओ, गन्ना, सब्सिडी और काउंटरवेलगि उपायों पर डब्ल्यूटीओ का समझौता, कृषि पर डब्ल्यूटीओ का समझौता, व्यापार और टैरिफि पर सामान्य समझौता ।

मेन्स के लयि:

वश्व व्यापार संगठन और इसकी भूमिका, वश्व व्यापार संगठन में चीनी सब्सिडी का मुद्दा, चीनी उद्योग में सब्सिडी का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने **वश्व व्यापार संगठन** (World Trade Organisation's- WTO) के व्यापार वविाद नपिटान पैनल के एक नरिणय के खलिाफ अपील की है नरिणय दया गया, जसिमें कहा गया क चीनी और गन्ने के लयि देश के घरेलू समर्थन उपाय वैश्वकि व्यापार मानदंडों के अनुसार नहीं है ।

- इससे पूरव वश्व व्यापार संगठन द्वारा चीन को 'विकासशील देश' का दर्जा दया गया था, WTO के इस नरिणय पर कई देशों द्वारा चति व्यक्त करते हुए आपतदर्ज की गई, साथ ही यह एक वविादास्पद मुद्दा बन गया था ।

प्रमुख बडि

■ भारत की अपील:

- भारत द्वारा वश्व व्यापार संगठन के अपीलीय नकियाय में अपील दायर की गई थी, जो इस प्रकार के व्यापार वविादों पर अंतिम प्राधिकरण है ।
- पैनल की रपिाट में नहिति कुछ "कानून की तरुटयों या कानूनी व्याख्या के संबध में भारत ने अपील की है एवं नकियाय से "पैनल के नषिकर्षों, नरिणयों और सफिारशियों को उलटने, संशोधति करने या वविादास्पद एवं बनिा कसिी कानूनी प्रभाव के" घोषति करने का अनुरोध कया है ।
- भारत ने पैनल के नषिकर्षों की समीक्षा की मांग की है क चीनी मलिों को वपिणन लागत पर खर्च के लयि सहायता प्रदान करने की योजना, जसिमें हैंडलगि, उन्नयन और अन्य प्रसंसकरण लागत तथा अंतर्राष्टरीय एवं आंतरकि परविहन की लागत व अधकितम स्वीकार्य नरियात मात्रा योजना (Maximum Admissible Export Quantity- MAEQ) की शर्तों के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लयि चीनी के नरियात पर माल दुलाई शुल्क शामिल हैं ।

■ भारत के खलिाफ शकियात:

- ऑस्ट्रेलया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला का मानना है क भारत के घरेलू समर्थन और नरियात सब्सिडी के उपाय कृषि पर डब्ल्यूटीओ के समझौते और सब्सिडी एवं काउंटरवेलगि मानकों (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures-SCM) पर समझौते व **प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते** (General Agreement on Trade and Tariffs-GATT) के अनुच्छेद XVI के वभिन्न प्रावधानों के साथ असंगत प्रतीत होते हैं ।
- तीनों देशों ने शकियात की है क भारत गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन प्रदान करता है जो गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा कृषि पर हुए समझौते के असंगत था ।
- उन्होंने भारत की कथति नरियात सब्सिडी, उत्पादन सहायता और बफर स्टॉक योजनाओं और वपिणन एवं परविहन योजना के तहत सब्सिडी का मुद्दा भी उठाया ।
- ऑस्ट्रेलया ने भारत पर वर्ष 1995-96 के बाद गन्ने और चीनी के लयि अपने वार्षकि घरेलू समर्थन तथा वर्ष 2009-10 के बाद से अपनी नरियात सब्सिडी को अधसूचिति करने में "वफिल" होने का आरोप लगाया, जो क एससीएम (SCM) समझौते के प्रावधानों के साथ असंगत था ।
- मामले को देखने और अपनी रपिाट की जाँच के लयि डब्ल्यूटीओ के वविाद नपिटान नकियाय **Dispute Settlement Body -DSB** द्वारा एक पैनल का गठन कया गया था ।

सब्सिडी और काउंटरवेलगि उपायों पर वश्व व्यापार संगठन का समझौता

- एससीएम पर डब्ल्यूटीओ समझौता सब्सिडी के उपयोग को अनुशासित करता है और यह उन कार्यों को नयित्त्रति करता है जो देश सब्सिडी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिये कर सकते हैं।
- समझौते के तहत कोई देश डब्ल्यूटीओ की वविाद-नपिटान प्रक्रिया का उपयोग सब्सिडी को वापस लेने या इसके प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिये कर सकता है या देश अपनी जाँच शुरू कर सकता है तथा अंततः सब्सिडी वाले आयातों पर अतिरिक्त शुल्क ("काउंटरवेलिगि ड्यूटी") लगा सकता है जो कि घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

कृषिपर वशिव व्यापार संगठन का समझौता

- इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाज़ार पहुँच तथा वैश्विक बाज़ारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- वशिव व्यापार संगठन की कृषिसमिति, समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करती है और सदस्यों को संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये एक मंच प्रदान करती है।

शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता

- GATT की उत्पत्तविवर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई, जिसने द्वितीय वशिव युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और दो प्रमुख संस्थानों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा वशिव बैंक की स्थापना की।
- वर्ष 1947 में जनिवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित GATT के रूप में एक समझौता 1 जनवरी, 1948 को नमिनलिखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ:
 - आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करना।
 - वाणजियिक वस्तुओं के व्यापार पर शुल्क को कम करने करना।
- GATT 1948 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन (संस्था नहीं) बन गया जब तक कि वर्ष 1995 में वशिव व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई।
 - GATT 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने GATT 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित रखा तथा माल का व्यापार संचालन जारी रखा।
 - उरुग्वे राउंड वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मारकेश समझौता हुआ, इसने वशिव व्यापार संगठन की स्थापना की।

■ भारत का रुख:

- भारत ने कहा कि "शकियतकरत्ता यह दिखाने में वफिल रहे हैं" कि गिन्ने और इसकी वभिन्न योजनाओं के लिये भारत का बाज़ार मूल्य समर्थन कृषिपर समझौते का उल्लंघन करता है।
- इसने यह भी तर्क दिया कि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 3 की आवश्यकताएँ अभी तक भारत पर लागू नहीं हैं और भारत में आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 27 के अनुसार नरियात सब्सिडी, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिये 8 वर्ष की चरणबद्ध अवधि है।

■ पैनल के नषिकरष:

- वविाद नपिटान पैनल ने चीनी क्षेत्र में भारत के घरेलू समर्थन और नरियात सब्सिडी उपायों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन माना है।
- पैनल ने पाया कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक लगातार पाँच चीनी मौसमों के लिये भारत ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के अनुमत स्तर से अधिक गैर-छूट उत्पाद-वशिषिट घरेलू समर्थन प्रदान किया।
 - भारत ने तर्क दिया कि इसकी "अनविवार्य न्यूनतम कीमतों का भुगतान केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नहीं बल्कि चीनी मल्लों द्वारा किया जाता है इसलिये यह बाज़ार मूल्य समर्थन का गठन नहीं करता है", हालाँकि पैनल ने इस तर्क को खारजि कर दिया और कहा कि बाज़ार मूल्य समर्थन के लिये सरकारों को खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं होती।

■ पैनल की सफिराशैं:

- भारत को अपने वशिव व्यापार संगठन के नियमों असंगत उपायों को कृषिसमझौते और SCM समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप लाना चाहिये।
- भारत को 120 दिनों के भीतर उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक और वपिणन एवं परविहन योजनाओं के तहत अपनी कथित सब्सिडी वापस लेनी चाहिये।

वशिव व्यापार संगठन में वविाद नविवरण:

- वशिव व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, वशिव व्यापार संगठन के सदस्य जनिवा स्थिति बहुपक्षीय नकियाय में मामला दर्ज कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि किसी सदस्य देश का कोई वशिष व्यापार उपाय या नीति वशिव व्यापार संगठन के मानदंडों के खिलाफ है।
- किसी वविाद को सुलझाने के लिये द्वपिकषीय परामर्श पहला कदम है। यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो एक वविाद नपिटान पैनल की स्थापना की जा सकती है।
- पैनल के फैसले या रपौरट को वशिव व्यापार संगठन के अपीलीय नकियाय में चुनौती दी जा सकती है।
 - दलिचस्प बात यह है कि इस नकियाय में सदस्यों की नयिकृता के लिये सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण वशिव व्यापार संगठन का अपीलीय नकियाय काम नहीं कर पा रहा है। अपीलीय नकियाय के पास पहले से ही 20 से अधिक वविाद लंबित हैं। अमेरिका सदस्यों की नयिकृतापर रोक लगाता रहा है।

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-appeal-at-wto>

